

KYC की प्रक्रिया कभी न थी इतनी सरल.

बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कम्पनियों में
खाता खुलवाने के लिए प्रस्तुत करें
केवल CKYC नम्बर.



RBI/IRDA/SEBI/PFRDA द्वारा नियमित संस्थान जैसे कि बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इन्शुरन्स कम्पनी, पेंशन निधि में खाता खोलने के मात्र 10 दिनों के भीतर आपके सभी **KYC** विवरण **CKYC** रिकार्ड रजिस्ट्री में अपलोड कर दिए जाते हैं और खाताधारक को एक विशिष्ट **CKYC** नम्बर दिया जाता है।

यह **CKYC** नम्बर आप अपने बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इन्शुरन्स कम्पनी, पेंशन निधि से प्राप्त कर सकते हैं।* (*केवल उन्ही खातों के लिए जो की 15 जुलाई 2016 या उसके उपरांत खोले गये हों। इस तिथि से पूर्व खोले गये खातों के खाताधारकों का **CKYC** नम्बर KYC नवीनीकरण कराए जाने पर प्राप्त होगा।)

भविष्य में आप **KYC** के प्रमाण के रूप में **CKYC** नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने **KYC** दस्तावेजों को बार बार लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

अपना **CKYC** नंबर अपने बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी से साझा न करें।

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें

www.ckycindia.in

फॉलो करें



टॉवर-1, ऑफिस ब्लॉक, चौथी मंजिल, प्लेट-ए,
एनबीसीसी, किंदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023

भारत सरकार की एक कम्पनी